



लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

332, हिन्द नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226021
फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522-4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये पत्र

सेवा में,

श्री० पार्थ डेन्काबिल्ले प्रा० लि,
फ्लाट नं० 73, ग्राउण्ड फ्लोर,
पटपटान डेवलपर्स एसोसिएट्स प्रा० लि,
दिल्ली-110092

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 343 दिनांक 26.08.2015 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा मीरानपुर तिनवट परगना बिजनौर जखनऊ में परसिट नं० 281 दि० 13.08.15 द्वारा स्वीकृत है-विन्यास मानचित्र के आधार पर 228093.00 में आंशिक भूभाग पर बहुमंजिलीय भवन एवं कलब का मानचित्र के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/अस्वीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा संलग्न बालू (पृष्ठ नं० 1 से 15) पर आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कायालय मुहर



कायालय संप्रेषण संख्या 432

दिनांक 06/11/2015

अधिकारी का नाम - श्री एम०पी० सिंह
अधिकारी का पदनाम - वरिष्ठ प्रबंधक (पर्सि०)

06/11/15

हस्ताक्षर

संख्या 432 / लओओडिओप्रा
दि० ०६/११/१५

निर्माणार्थ अनुमति - पत्र

यह अनुमति उ० प्र० औद्योगिक विकास अधिनियम १९७६ एवं इसके साथ पठित माहूल बिल्डिंग वाईलान १९७७ के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसके अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मालिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री / श्रीमती / सौ पार्थ दि० ११/१०/९२ द्वारा ग्राम मीरानपुर पिनवट परगना बिजनौर तहसील लखनऊ जिला लखनऊ के खसरा स० १३५, १३६, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, २३३, १३३, १९२, १९७, २००, १६७, २१८, २१९, २२४, २२६, २२५, २२१, २६२, २२८, २२०, १९३, १३०, १३४, १४०, १४१, १४२, १९१, १९९, २०१, २१३, २११, १९६, १८३, २२९, २१४, १३९, १६६, २०५, २०६, २१५, २०९, २४०, १९८, २१२, २२२, २२७, २५४, १५४, २६१, २६३, २६४, १७६, १७४, १७५, १७७, १७९ एवं २५४ तथा १७ खसरा नम्बरान के क्षेत्रफल ३२००९०.०० वर्गमीटर पर परमिट स० २८१ दि० १३.०८.२०१५ नवसे में दर्जित स्थान पर बहुमंजिलीय भवन (आवासीय - कलस्टर-७ एवं ८ एवं कलब) जो ग्रामीण पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। विहित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत बहुमंजिलीय भवन (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पञ्चावली संख्या २१८/लीडा/सी.ई.ओ./२०१४-१५ के नोट पुख स० १३ पर दिनांक ०६.११.१५ को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहायक प्रबंधक (परि०)
(जन - लखनऊ)

प्रबंधक (परि०)

टाउन प्लानर/सहयुक्त नियोजक

वरिष्ठ प्रबंधक (परि०)

दिनांक - ०६/११/१५





- नोट 1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि निर्माण आडानुक्रम नहीं बनी तो लीजा द्वारा उसे निरवधाय जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा यदि कोई निर्माण बिना लीजा की अनुमति प्राप्त किसे निर्माणाित अथवा पुनः निर्माणाित होगा तो उनके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवशामय निर्माण को लीजा द्वारा हटया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन निर्माण बनाने वाले से बसूल किया जायेगा।
2. इस अनुमति पत्र के सड़क या गली पर बंधाकर प्रोत्पन्न नई या पुरानी बाराजा, लीजा सीढ़ी, झाम नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर नये निर्माण की स्वीकृति बाहे उसके क्षाय नक्शे में दिखाई भी गयी हो, नही प्रदान की जावेगी। इन निर्माणों के लिये प्राधिकरण आधिनियम की धारा के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. निर्माण से यदि नाली की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग को निर्माण के अगावाड़े पिछवाड़े अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो निर्माण के अगावाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण टकली गई हो) हानि पहुँचे तो यह निर्माण स्वामी को गत वैधाय हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा तो उसे पहले ही तोड़कर अपने खर्च से मरमत करवाकर पूर्ववत अवस्था में लिये प्राधिकरण को संतोष हो जावे में कर देना होगा।
4. निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिक सिटी क्लस के नियम 1970 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि लीजा की जानकारी में ऐसे मामले पाये जायें तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
5. प्रार्थी को नियमानुसार लीजा को निर्माण के पूर्ण हो जाने की सूचना निर्माण समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा। यदि सूचना न दी गयी तो यह समझा जायेगा कि निर्माण पूर्ण हो गया।
6. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदात्री उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी। और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्माण आदि हटावे जिसका कोई हखाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इस लिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके सभी निर्माण को प्रारम्भ करे।
7. आवेदक को लीजा द्वारा निर्धारित वाहय विकास शुल्क की अवशेष धनराशि को अर्द्धवार्षिक किस्तों पर 14 प्रतिशत व्याज सहित देय होगा तथा स्वीकृत मानचित्र व वाहय विकासामक कार्यों के विरुद्ध कोई भी वाद योजित नहीं किया जायेगा।



8. आवेदक को अपने विल पौषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना लीजा को देनी होगी।
9. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित स्थिति दर्शाते व आर्कड की देखरेख में निर्माणकार्य कराया जायेगा तथा समय-समय पर कार्य की प्रगति से लीजा को अवगत करना होगा। विशिष्टियाँ गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये लीजा जिम्मेदार नहीं होगा।
10. आवेदक का मानचित्र जिस उपयोग हेतु निर्धारित अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है उस अवधि में कार्यपूर्ण कर कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र फीस लीजा की भवन नियमावली 2009 के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल पर रु0 2.50 प्रतिवर्ग मी0 देय होगा।
11. प्राधिकरण के सहित प्रबंधक परि0 द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।
12. प्राधिकरण की भवन नियमावली एवं अन्य शर्तें आवेदक को मान्य होगी।
13. किसी भी नियमों की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।
14. अतिरिक्त भवन निर्माण द्वारा जारी पत्र सं0 एक0एस0 1076/जेडी (टी0एस0) / 15 (5) दि0 02.11.2015 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
15. भूक्षारीपण का अनुपालन किया जायेगा।
16. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय-2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।
17. प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर मॉने जॉने पर आवंटियों की सूची पता सहित उपलब्ध कराना होगा।
19. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।
20. सड़कों के किनारे यथा सम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा बिक-ऑन-एज/लैंज स्टीन पेवमेंट का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिवर्जिंग सम्भव हो सके।
21. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिमत है, तो प्रस्तावित विचलन निम्नांकित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।



- विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुशासित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत डाटा (.dwp) या समकक्ष फॉर्मट में (सी.डी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।
22. इस अनुशासित सूचकांक का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदान होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुशासित किसी प्रकार की विवक्षित कार्यवाही हेतु निरापेक्ष अथवा/विवक्षित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी प्रकार का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
23. यह अनुशासित किसी भी समय प्रावधान पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुशासित तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्णक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्तकी जा सकती है।
24. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पथर के रूप में हो अथवा आकरकेड वालकनी, छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में हो चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शा में दर्शा दिये गये की अनुशासित अमान्य होगी।
25. अनुशासित के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
26. यह अनुशासित निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार जमीन तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।
27. स्वामित्व के संबंध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
28. मानचित्र में दर्शित अश्वमतीय निर्माण यदि निर्धारित विधि तक पक्ष द्वारा छूट नही किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का प्रतिशत हजाना कार्यवाही करके पक्ष से खर्चीकरणा का व्यय वसूल करेगा।
29. आवश्यक समस्त शासकीय अनापत्ति आप द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
30. सीवर व अन्य आवश्यक डिस्पोजल की व्यवस्था आप द्वारा स्वयं की जायेगी।
31. 10 पार्श्व इन्फ्रा विन्ड 10 मिटर (दो माह) के अंदर लीजा की भूमि व समस्त शासकीय भूमियों का नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये एक्वेज/विनिमय की कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।



विकासकर्ता द्वारा टाउनाशिप / कालोनियाँ में एस0टी0पी0/म्युनिसिपल सालिड वेस्ट का निस्तारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने विषयक पर्यावरण विभाग के शासनादेश सं0 3333/55-पयॉ0/2008 दि0 29.09.2008 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदेश नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा प्रस्तावित योजना के संबंध में सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मारटर प्लान 2031 की नीति के आधार पर सालिडवेस्ट की गणना की जायेगी। सालिडवेस्ट

6. विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास है। प्रश्नगत स्वीकृति प्लान के उसी भाग के लिए मान्य होगी जो विकासकर्ता के स्वामित्व में है।

4. वाहय अवस्थापनगत सुविधाओं से आंतरिक सुविधाओं का संयोजन आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुमति के उपरांत स्वयं के खर्च पर कराया जायेगा।

3. प्रस्तावित निर्माण/भवन में समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे नाली, सीवर, वाटर सप्लाई, बिजलीकरण, सेंटिक टैंक, रेन वाटर हार्बरिस्ट, ट्रांसफार्मर इत्यादि आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर निर्धारित बिडलिखत एवं परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित तथा प्रस्तुत षण्ण पत्र के अनुरूप कराये जायेगा। स्थानीय निरीक्षण के दौरान आंतरिक विकास कार्यों को निर्धारित बिडलिखतों के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।

2. प्राप्ति की नियमानुसार प्राधिकरण को विकास के पूर्ण हो जाने की सूचना समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा।

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि निर्माण का विकास शालीनसार /आडानुकूल नही विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई निर्माण बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय निर्माण को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भुगतान विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा। निम्न शर्तें प्रभावी होगी:-

नोट 1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू-विन्यास का विकास शालीनसार /आडानुकूल नही विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई निर्माण बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय निर्माण को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा। निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के उपरांत स्थल पर विकास/निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निम्न शर्तें प्रभावी होगी:-



- के अंतिम निस्तरण हेतु विकासकर्ता को स्वयं नगर निगम की सहमति/अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
7. योजना का कम्पलीशन सर्टीफिकेट तभी जारी किया जायेगा जब विकास कर्ता द्वारा सम्पूर्ण विकास कार्य व निर्माण के साथ-साथ ई0डब्ल्यू0एस10/एल0आई0वी0 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
8. विकासकर्ता द्वारा ई0डब्ल्यू0एस10/एल0आई0वी0 भवन, तथा सामुदायिक सुविधाएं ले-आउट में ऐसे स्थलों पर प्रस्तावित किये जायेंगे, जिनका स्थानित निर्वाह रूप से विकासकर्ता के पास उपलब्ध हो।
9. विकास के सभी कार्य निर्धारित विधिबद्धताओं एवं मानकों के आधार पर विकासकर्ता द्वारा सम्पादित करायें जायेंगे। विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्य का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विकास योग्य भूमि का 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) क्षेत्र लीजा के समक्ष/पास बंधक के रूप में रखवा जायेगा अथवा विकासकर्ता द्वारा इतनी ही धनराशि की बैंक गारंटी प्रेषित की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा रेनवाटर इवॉल्यूटिंग हेतु प्रस्तावित स्ट्रक्चर्स की प्रथमतः क्षेत्र की हाईड्रोलॉजी की आधार पर उपयुक्तता के संबंध में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश भूजल विभाग से स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कराना होगा।
11. विकासकर्ता को विद्युत आपूर्ति यू0पी0वी0सी0एल0 से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासकर्ता को स्वयं यू0पी0वी0सी0एल0 से सहमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
12. विकासकर्ता द्वारा कृष फ़लो स्टैम्ट तथा निर्माण/विकास गतिविधियाँ हेतु बार वाट प्रस्तुत कराना होगा, जो सी0ए0 द्वारा सत्यापित होगा। योजना के समस्त कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने होंगे। यदि मविष में मा0 न्यायालय अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय/निर्देश, किन्हीं प्रकार के शुल्क अधिव्यवृत्त करने के संबंध में जारी किये जाते हैं तो उसके अनुसार विकासकर्ता को शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने बैंक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिनसे उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।
13. योजना के सम्मत एवं रख-रखाव के कार्य के संबंध में को लीजा द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना होगा।
14. विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्य का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
15. किन्हीं भी शर्तों का अनुपालन न करने पर मानविक की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।



परिषद् प्रबन्धक (परि०)

1. परिषद् वित्त एवं लेखाधिकारी, लीजा लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अवशेष आर्थिक विकासक शृङ्खला की गणना एवं देयता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित सहोपबंधक परि० (जोन-लखनऊ) को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तों के अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित, करायें अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

प्रतिलिपि-

पत्र सं०/लीजा/ए०सी०ई०आ०.....दिनांक

सहायक प्रबन्धक (परि०) प्रबन्धक (परि०) टाउन लानर/सहोपबंधक

21. शो पार्थ इंक्वायिड प्रो लियो द्वारा खोल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को लिखित में सूचना देनी होगी।
20. किन्ही भी शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
19. शो पार्थ इंक्वायिड प्रो लियो को उनका अनुपालन समयावधि में सुनिश्चित करना होगा।
18. स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० 281 दि० 13.08.15 की समस्त शर्तें प्रभावी होंगी एवं प्रकियाएं शो पार्थ इंक्वायिड प्रो लियो को पूरी करनी होंगी।
17. किन्ही भी शासकीय भूमि पर निर्माण अनुमति नहीं होगी। एकसर्वेज संबंधी समस्त विधिक निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें जायेंगे।
16. किन्ही भी शासकीय भूमि पर निर्माण अनुमति प्राप्त करनी होगी एवं उसी के उपरान्त ई०आ०ई०ए० एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी एवं उसी के उपरान्त समझा जायेगा।
15. शो निगमानुसार उसी ऊंचाई तक अनुमति होगी। अधिक ऊंचाई का मानचित्र स्वतः निरस्त होट एयरिडि द्वारा निर्धारित ऊंचाई तक ही मानचित्र की स्वीकृति मानी जायेगी एवं निर्माण एयर एयर एयरिडि से ऊंचाई के लिये अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा तथा एयर